

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 06/10/2026

अ.सं.संब0-6179/2025-1678/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की चौदहवीं बैठक के कार्यवली सं0-BOA-03/14 पर गैर-सरकारी फार्मैसी महाविद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित फार्मैसी महाविद्यालय को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए सत्र-2025-26 हेतु अस्थायी संबद्धता (Temporary Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

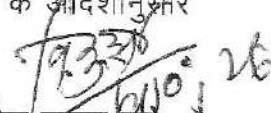
Sl No	Name of the College/ Institute	Course/ Subject Wise Seat	Total Intake Capacity for 2025-26
1	2	3	4
1	Himalaya College of Pharmacy, Patna	M. Pharm (Pharmaceutical Chemistry-15, Pharmacology-15, Pharmacognosy-15 Pharmaceutics-15,)	60

नियम एवं शर्तें:-

- अस्थायी संबद्धता "Regulation for Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 एवं प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है। अस्थायी संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- महाविद्यालय/संस्थान को PCI, New Delhi से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-240(17), दिनांक-24.02.2026 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में संबंधित फार्मैसी महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा पूर्व से बी० फार्म कोर्स हेतु प्राप्त अनापत्ति के आलोक में संबद्धता प्रदान की जा रही है।
- संस्थान द्वारा जमा कराये गये शुल्कों में भविष्य में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्थान उक्त बकाया फीस जमा करेंगे।
- संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/ PCI, New Delhi आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है तथा निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में संबद्धता वापस लिया जा सकता है।
- महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।

9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय, में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए संबद्धता किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
10. महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार


(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

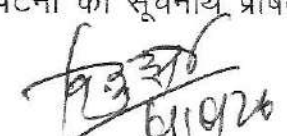
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6179/2025-.....1678/

पटना, दिनांक 06/10/2026

प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित फार्मसी महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(फार्मसी)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/
कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


6/10/26

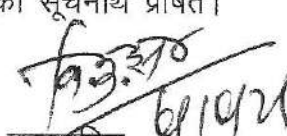
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6179/2025-.....1678/

पटना, दिनांक 06/10/2026

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


6/10/26

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना